रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 196] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 30, 1973/भाद्र 8, 1895

No. 196] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 1973/BHADRA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप म रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi the 30th August 1973

No. 46(2)CI/73.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin Part II, dated the 30th August, 1973, is hereby published for general information:—

"No. 1331

Amendment to Directions by the Speaker under the Rules of Procedure of Lok Sabha

In pursuance of rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the Speaker has made the following amendment to the Directions:—

DIRECTION 113B

In Direction 113B, for the figures and word '10.30 hours", wherever they occur, the figures and word "10.00 hours" shall be substituted.

S. L. SHAKDHER,
Secretary."

लोक-सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 अगस्त, 1973

संख्या 46(2)/सी० 1/73.—लोक सभा समाचार-भाग 2 दिनांक 30 अगस्त, 1973 में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

"संख्या 1331

लोक सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में, अध्यक्ष महोदय ने निदेशों में निम्नलिखित संशोधन किये हैं :—

निदेश 113 ख

निदेश 113 ख में "10.30 बजे", अंक और शब्द, जहां कहीं भी आयें, उनके स्थान पर "10.00 बजे" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाये।

श्याम लाल शकधर,
सचिव।"

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973